

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 05 अक्टूबर 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में खेलकूद निदेशालय/खेलकूद हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-673/ब0त्रा0/2018-19/दे0दून, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 एवं शासन के पत्र संख्या-313/VI/2018-21(2)/2018, दिनांक 26 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की मांगे स्वीकृत होने एवं तत्संबंधी 'विनियोग अधिनियम, 2018' पारित होने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में खेलकूद निदेशालय/खेलकूद हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹1350 हजार (₹ तैरह लाख पचास हजार मात्र) को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) कृपया पूर्व माह के व्यय की सूचना व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 पर अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक शासन में उपलब्ध करायी जाय।
- (2) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
- (3) 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई (50%), 13-टेलीफोन पर व्यय (50%), 15-गड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद (50%), 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति (50%) एवं 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्य (50%) आदि के व्यय पर विशेष रूप से मितव्ययता बरती जाय।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।
- (5) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय-व्यय संबंधी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (6) जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं और जिन मदों की दरें बाजार भाव से ली गयी हों, के सम्बन्ध में न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराया जाय।
- (7) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-88/XXVII(3)कार्य/2005, दिनांक 24 फरवरी, 2005 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत ₹5.00 लाख तक के लघु कार्य (लघु निर्माण एवं अनुरक्षण) को अपने स्तर से अनुरक्षण एवं लघु निर्माण से सम्बन्धित नियमावली, अधिप्राप्ति नियमावली एवं नॉमर्स को ध्यान में रखते हुए कराया जाय।

(8) कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर व नेटवर्किंग उपकरणों के क्रय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-285/पी.एस.य./2006, दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ही कार्यवाही की जाय।

(9) वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 खेलकूद निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत उल्लिखित संलग्न विवरणानुसार मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति संलग्न एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या- 51810110043 दिनांक 08 अक्टूबर 2018 के अधीन निर्गत की जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 682 /VI/2018-21(2)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव, खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-682/VI/2018-21(2)/2018, दिनांक 05 ~~सितंबर~~ 2018 का संलग्नक

अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 खेलकूद निदेशालय-

(धनराशि हजार ₹ में)

मद का नाम	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि	पूर्व में स्वीकृत बजट	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित अवशेष धनराशि
1	2	3	4
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई (50%)	600	300	300
13-टेलीफोन पर व्यय (50%)	300	150	150
15-गड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद (50%)	800	400	400
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति (50%)	500	250	250
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का कय (50%)	500	250	250
योग	2700	1350	1350

(कुल ₹ तैरह लाख पचास हजार मात्र)

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Sports (S047)

आवंटन पत्र संख्या - 682/VI/2018-21(2)/2018

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - S1810110043

आवंटन पत्र दिनांक - 08-Oct-2018

HOD Name - Director Sports (2441)

- 1: लेखा शीर्षक 2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें
001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - खेलकूद निदेशालय
00 - खेलकूद निदेशालय

00 -

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	45211000	0	45211000
02 - मजदूरी	4000000	0	4000000
03 - महंगाई भत्ता	4597000	0	4597000
04 - यात्रा व्यय	120000	0	120000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200000	0	200000
06 - अन्य भत्ते	3428000	0	3428000
07 - मानदेय	60000	0	60000
08 - कार्यालय व्यय	900000	0	900000
09 - विद्युत देय	2000000	0	2000000
10 - जलकर / जल प्रभार	200000	0	200000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	300000	300000	600000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200000	0	200000
13 - टेलीफोन पर व्यय	150000	150000	300000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	400000	400000	800000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	2200000	0	2200000
17 - किराया, उपशल्क और कर-स्व	30000	0	30000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	30000	0	30000
26 - मशीनें और सजा / उपकरण औ	300000	0	300000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	250000	250000	500000
42 - अन्य व्यय	1600000	0	1600000
44 - प्रशिक्षण व्यय	10000	0	10000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	40000	0	40000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	200000	0	200000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	250000	250000	500000
	66676000	1350000	68026000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

1350000